GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY RAJYA SABHA STARBED OLIESTION NO. *112

STARRED QUESTION NO. *113

TO BE ANSWERED ON: 11.02.2021

REPORT ON MEDIA MANIPULATION SURVEY

*113 SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA:

Will the Minister of Electronics and Information Technology be pleased to state:

- (a) whether Government's attention has been drawn to a report about media manipulation survey from University of Oxford Institute stating that social media manipulation of public opinion is a growing threat to democracies, including that of India;
- (b) the steps that are being taken to ensure that people are able to rely on trustworthy information about Government policies and activities; and
- (c) the steps being taken to save people from becoming target of disinformation and misinformation campaigns launched by some of the neighbouring countries?

ANSWER

MINISTER FOR ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD)

(a) to (c): A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *113 FOR 11-02-2021REGARDING REPORT ON MEDIA MANIPULATION SURVEY

•••••

- (a): There had been media reports that Oxford University has published a survey report entitled "Industrialized Disinformation 2020: Global Inventory of Organized Social Media Manipulation". The report highlights the recent trends of computational propaganda across 81 countries and the evolving tools, capacities, strategies, and resources used to manipulate public opinion around the globe.
- (b) and (c): Government has taken several steps to ensure about trustworthy information about Government policies and activities and safeguard people from becoming target of disinformation and misinformation campaigns, These, *inter alia*, include:
- (i) Government has set up a portal **india.gov.in** to disseminate trustworthy Government policies and activities. The Portal provides a single window access to the information and services being provided by the Indian Government for citizens and other stakeholders. The Portal endeavours to provide comprehensive, accurate, reliable and one-stop source of information about India and its various facets and links to other Indian Government Portals/websites, which are also working on "**gov.in**" domain.
- (ii) Government actively participated in a Committee specially constituted by Election Commission of India to address the issue of misuse of digital and social media in particularly for the last general election campaign in 2019. Based on the recommendations of the Committee, the Election Commission has worked closely with the industry. A code of commitment was developed. Both Election Commission and social media platforms worked as per the code of commitment for speedy removal of any objectionable or unlawful content.
- (iii)Ministry of Information and Broadcasting has set up a dedicated cell (Counter Misinformation Unit) under Press Information Bureau (PIB) as a measure to counter fake news on policies, schemes, programs etc. by Government of India.

The Unit has a presence on prominent social media platforms like Twitter, Facebook and Instagram. The unit takes *suo moto* cognizance of fake news going viral on social media and also on basis of outside complaints.

- (iv)Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) and Ministry of Home Affairs (MHA) as well as Police are in regular touch with various social media platforms to effectively address the issue of removal of objectionable content.
- (v) Ministry of Home affairs (MHA) and MeitY has issued a number of advisories which includes advisory on untoward incidents in the name of protection of cows dated 09.08.2016, advisory on cybercrime prevention and control dated 13.01.2018, advisory on incidents of lynching by mobs in some States fueled by rumors of lifting/kidnapping of children dated 04.07.2018, advisory. MeitY on 20.03.2020 issued an advisory to major social media platforms urging them to:
- initiate awareness campaign on their platforms for the users not to upload/circulate any false news/misinformation concerning corona virus which are likely to create panic among public and disturb the public order and social tranquility;
- take immediate action to disable /remove such content hosted on their platforms on priority basis;
- promote dissemination of authentic information related to corona virus as far as possible.
- (vi)MeitY regularly interacts with social media platforms on issues related to spread of fake news, misinformation/disinformation on Internet. Government takes appropriate action as per law against the non-compliance by social media platforms. Social media platforms have implemented a number of steps to address the issue of fake news propagated using their platform.
- (vii) Section 69A of the IT Act, 2000 empowers Government to block any information generated, transmitted, received, stored or hosted in any computer resource in the interest of sovereignty and

integrity of India, defence of India, security of the State, friendly relations with foreign states or public order or for preventing incitement to the commission of any cognizable offence relating to above.

(viii) MeitY through a program, namely, Information Security Education & Awareness (ISEA), has been creating awareness among users highlighting the importance of following the ethics while using Internet and advising them not to share rumors/fake news. A dedicated website for information security awareness (https://www.infosecawareness.in) provides relevant awareness material.

भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *113

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है। 22 माघ, 1942 (शक)

मीडिया द्वारा सर्वेक्षण में हेर-फेर किए जाने संबंधी रिपोर्ट

*113. श्री सुशील कुमार गुप्ता :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का ध्यान ऑक्सफॉर्ड विश्वविद्यालय की मीडिया द्वारा सर्वेक्षण में हेर-फेर किए जाने संबंधी रिपोर्ट की ओर गया है जिसमें यह कहा गया है कि सोशल मीडिया द्वारा लोगों की राय के साथ हेर-फेर किया जाना भारत समेत अन्य लोकतंत्रों के लिए बढ़ता खतरा है;
- (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए जा रहे हैं कि लोग सरकार की नीतियों और क्रियाकलापों के संबंध में विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा कर सकें,; और
- (ग) कुछ पड़ौसी देशों द्वारा भ्रामक और गलत जानकारी प्रदान किए जाने की मुहिमों का शिकार बनने से लोगों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

मीडिया द्वारा सर्वेक्षण में हेर-फेर किए जाने संबंधी रिपोर्ट के संबंध में दिनांक 11.2.2021 को राज्य सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. *113 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

(क): मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसका शीर्षक है "इंडस्ट्रियलाइज्ड डिसइनफार्मेशन 2020: ग्लोबल इन्वेंटरी ऑफ ऑर्गनाइज्ड सोशल मीडिया मैनिपुलेशन"। रिपोर्ट में 81 देशों में कम्प्यूटेशनल प्रचार के हालिया रुझानों और दुनिया भर में सार्वजिनक राय में हेरफेर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उभरते उपकरण, क्षमता, रणनीतियों और संसाधनों पर प्रकाश डाला गया है।

- (ख) और (ग): सरकार ने सरकार की नीतियों और गतिविधियों के बारे में भरोसेमंद जानकारी सुनिश्चित करने और लोगों को गलत सूचना और गलत जानकारी अभियानों का निशाना बनने से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं, अन्य बातों के साथ-साथ इनमें शामिल हैं:
- (i) सरकार ने भरोसेमंद सरकारी नीतियों और गतिविधियों को प्रसारित करने के लिए एक पोर्टल india.gov.in की स्थापना की है। यह पोर्टल नागरिकों और अन्य हितधारकों के लिए भारत सरकार द्वारा दी जा रही सूचना और सेवाओं के लिए एकल खिड़की का उपयोग प्रदान करता है। पोर्टल भारत और इसके विभिन्न पहलुओं और अन्य भारतीय सरकारी पोर्टलों/वेबसाइटों के लिंक के बारे में सूचना के व्यापक, सटीक, विश्वसनीय और एक-स्टॉप स्रोत प्रदान करने का प्रयास करता है, जो "gov.in" डोमेन पर भी काम कर रहे हैं।
- (ii) सरकार ने विशेष रूप से 2019 में अंतिम आम चुनाव अभियान के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया के दुरुपयोग संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष रूप से गठित एक समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया। समिति की सिफारिशों के आधार पर, चुनाव आयोग ने उद्योग के साथ मिलकर काम किया। प्रतिबद्धता का एक कोड विकसित किया गया था। चुनाव आयोग और सोशल मीडिया दोनों प्लेटफार्मों ने किसी भी आपत्तिजनक या गैरकानूनी सामग्री को शीघ्र हटाने के लिए प्रतिबद्धता के अनुसार काम किया।
- (iii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा संचालित नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि के बारे में आ रही झूठी खबरों से निपटने के उपाय के तौर पर प्रेस इंफर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) के तहत एक समर्पित प्रकोष्ठ (काउन्टर मिसइंफर्मेशन यूनिट) स्थापित की है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर यह यूनिट अपनी उपस्थिति बनाए रखते हुए इन पर नज़र रखती है। यह यूनिट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही झूठी खबरों का स्वत: रूप से और बाहरी शिकायतों के आधार पर संज्ञान लेती है
- (iv) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ-साथ पुलिस आपत्तिजनक सूचना सामग्री को हटाने के मुद्दे का प्रभावी समाधान करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ नियमित रूप से संपर्क में हैं।
- (v) गृह मंत्रालय (एमएचए) और एमईआईटीवाई ने भी कई परामर्शी निदेश जारी किए हैं जिनमें दिनांक 9.8.2016 को गौरक्षा के नाम पर अवांछनीय घटनाओं पर परामर्शी निदेश, दिनांक 13.1.2018 का साइबर अपराध रोकथाम और नियंत्रण पर परामर्शी निदेश और दिनांक 4.7.2018 का बच्चों को उठाने/अपहरण करने की अफवाहों से कुछ राज्यों में मोब लिचिंग की घटनाओं पर एक परामर्शी निदेश शामिल हैं। एमईआईटीवाई ने दिनांक 20.03.2020 को प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफामों के उनसे निम्न के लिए अनुरोध करते हुए परामर्शी निदेश जारी की।
 - प्रयोक्ताओं को कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी गलत समाचार/गलत सूचना को अपलोड/प्रसारित नहीं करने के लिए अपने प्लेटफार्मों पर जागरूकता अभियान शुरू करें, जिससे जनता के बीच दहशत पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक शांति भंग करने की संभावना है:
 - प्राथिमकता के आधार पर उनके प्लेटफार्मों पर होस्ट की गई ऐसी सामग्री को निष्क्रिय/हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करें;
 - जहां तक संभव हो कोरोना वायरस से संबंधित प्रामाणिक जानकारी के प्रसार को बढ़ावा देना।
- (vi) एमईआईटीवाई नियमित रूप से इंटरनेट पर फर्जी खबरों,गलत सूचना/गलत जानकारी के फैलने से संबंधित मुद्दों पर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ बातचीत करती है। सरकार सोशल मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा गैर-अनुपालन के लिए कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करती है। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों ने अपने मंच का उपयोग करके प्रचारित फर्जी खबर संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए कई चरणों को लागू किए हैं।
- (vii) इसके अलावा, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69क सरकार को निम्नलिखित के हित में किसी कंप्यूटर संसाधन में तैयार की गई, प्रसारित की गई, प्राप्त, भंडारित अथावा होस्ट की गई किसी भी ऐसी सूचना को ब्लॉक करने का अधिकार प्रदान करती है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा सार्वजनिक व्यवस्था अथवा उपर्युक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध को करने के लिए भड़काने से रोकने से संबंधित है।
- (viii) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना सुरक्षा शिक्षण और जागरूकता (आईएसईए) नामक एक कार्यक्रम के जिरए इंटरनेट का प्रयोग करते समय नीतियों का अनुपालन करने के महत्व पर प्रकाश डालता रहा है और अफ़वाहों/गलत समाचार को साझा न करने की सलाह देता रहा है। सूचना सुरक्षा जागरूकता के लिए एक समर्पित वेबसाइट (www.infosecawareness.in) सुसंगत जागरूकता सामग्री प्रदान करता है।

श्री सुशील कुमार गुप्ताः सभापित महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार 81 देशों में सोशल मीडिया के माध्यम से हालिया रुझानों और सार्वजिनक राय को हेराफेरी करने के लिए यूज़ किया गया। भारत के निर्वाचन आयोग ने भी 2019 के आम चुनाव में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया, तािक चुनाव में उसका दुष्प्रचार जो हो रहा था, उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। माननीय सभापित जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने झूठी सोशल मीडिया को रोकने के लिए क्या-क्या कानून बनाये हैं और क्या-क्या कानून बनने की प्रक्रिया में हैं? श्री रिव शंकर प्रसादः सर, यह एक बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है। मैं आपसे कृपापूर्वक अनुमित चाहूँगा कि मुझे थोड़ा सा elaborate करने का अवसर दें, क्योंकि इसके माध्यम से मुझे एक संदेश भी देना है।

सर, हम सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। सोशल मीडिया ने आम लोगों को empower किया है। 'डिजिटल इंडिया' प्रोग्राम में सोशल मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हम आलोचना के अधिकार का भी सम्मान करते हैं। प्रधान मंत्री से लेकर सरकार तक की आप आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि ये संविधान का अंग हैं, लेकिन अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग हिंसा, fake news, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जायेगा, तो कार्रवाई होगी, यह मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ।

सर, दूसरी बात, हम भारत के चुनाव की प्रक्रिया को बहुत ही आदर से लेते हैं और चुनाव आयोग ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कोई चुनाव को भ्रष्टाचार से प्रभावित करने की कोशिश करेगा, तो सख्त कार्रवाई की जायेगी, यह भी मैं कहना चाहता हूँ। उसमें चुनाव आयोग के साथ-साथ सरकारें भी काम करेंगी।

सर, जहाँ तक fake news का सवाल है, मित्रवर प्रकाश जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमने fake news को burst करने के लिए एक platform बनाया हुआ है और जो fake news डालता है, तुरंत उसका correction भी यहाँ आ जाता है। मैं आज इस सदन के माध्यम से, चाहे वह Twitter हो, चाहे वह Facebook हो, चाहे वह Linkedin हो, चाहे वह WhatsApp हो या कोई हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूँगा कि आप भारत में काम करिए, आपके करोड़ों followers हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन आपको भारत के संविधान का पालन करना होगा, भारत के कानून का पालन करना होगा - यह हम कहना चाहते हैं।

श्री सुशील कुमार गुप्ता: सर, स्वीडन के V-Dem Institute की साल 2020 की डेमोक्रेसी रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेन्द्र मोदी सरकार में मीडिया, नागरिक समाज और विपक्ष के लिए कम होती जगह के कारण भारत ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : यह क्या सवाल है? यह कौन-सी रिपोर्ट है?

श्री सुशील कुमार गुप्ता : सर, स्वीडन के V-Dem Institute की रिपोर्ट है।

श्री सभापति : स्वीडन के V-Dem Institute का यहाँ से क्या संबंध है? उनसे हमारा क्या संबंध है? You are quoting some report from somewhere. These are all political. वह अपनी ओर देखे। The countries which are commenting about the internal affairs of India, they should look inward and then talk about these things. Please don't encourage such people.

श्री सुशील कुमार गुप्ता: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि पड़ोसी देशों के द्वारा जो झूठे प्रचार किए जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठ रही है? इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से जो झूठी खबरें देश के अंदर फैलाई जा रही हैं, उनके खिलाफ कितने मुकदमें दर्ज हुए हैं?

श्री रिव शंकर प्रसाद: सर, मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी हमने Twitter को बाकायदा फ्लैग किया है, चूँकि हमारे विभाग के लोग बातचीत में हैं, इसलिए मुझे यह सदन में नहीं बोलना था, बाहर नहीं बोलना था। अभी आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की। सर, ऐसा क्या है कि जब Washington के Capitol Hill पर ransacking होती है, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है, तो कुछ micro blogging कंपनीज़ उसके साथ खड़ी हो जाती हैं और जब यहाँ पर लाल किले पर हमला होता है, जो भारत की गरिमा का प्रतीक है, तो वे उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं? यह डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, इसको सारी कंपनियाँ जान लें। भारत के संविधान में Freedom of Speech है, लेकिन 19(2) में यह भी लिखा हुआ है, 'it is subject to reasonable restrictions because of sovereignty and integrity of India.' यह क्या मज़ाक है कि आप Narendra Modi, massacre of kisan' hashtag करते हैं? इसका मतलब क्या है?

सर, मैं इन लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आप वैमनस्य न फैलाएँ, आप हिंसा न फैलाएँ, झूठी खबरें न फैलाएँ और भारत के संविधान तथा भारत के कानून का पालन करें। इसके लिए हम बहुत ही सख्त रहेंगे।

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: सभापित महोदय, सोशल मीडिया और मीडिया में एक महत्वपूर्ण फर्क यह है कि सोशल मीडिया में हमें अपनी जो बात कहनी है, उसकी पूरी स्वाधीनता होती है, मगर जब खुद को platform कहने वाले सोशल मीडिया संस्थान, 'मैंने क्या कहना, कहना या नहीं कहना', इस पर नियंत्रण लाते हैं, तो वह एक दृष्टि से मीडिया होता है। अगर वह मीडिया की पद्धित से काम करता है, तो क्या सरकार Press Council का कानून या फिर Foreign Direct Investment के संबंध में जो नियम हैं, उनको सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर लागू करने के बारे में सोचेगी, क्योंकि इस विषय में Electronics and Telecommunications की संसदीय स्थाई समिति ने भी recommendations की हुई हैं।

श्री रिव शंकर प्रसाद: सर, मुझे उस र्टेंडिंग कमेटी की अनुशंसाओं का ज्ञान है, मैं इतना कहूँगा कि मित्रवर प्रकाश जावडेकर और मैं, हम दोनों पूरी गाइडलाइन्स को revisit कर रहे हैं और जैसे ही हम लोगों का फाइनल मंतव्य बन जाएगा, तब हम इस पर बताएँगे और उसकी प्रति सदन में भी रखेंगे।

सर, माननीय सदस्य ने जो एक बात कही है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब आप एक प्लैटफॉर्म बनते हैं, तो आप अपना स्वयं का एक कानून बनाते हैं कि हम उसी से जाँचेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है और उसमें भारत के संविधान तथा भारत के कानून की कोई जगह नहीं होगी, यह तो नहीं चलेगा। आप यहाँ पर हैं, आप आइए, आपके काम का सम्मान है, आप जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसका सम्मान है, आप व्यापार किरए, एफडीआई लाइए, पैसे लाइए, लेकिन आपको भारत के संविधान और भारत के कानून का सम्मान करना पड़ेगा - यह हम बहुत स्पष्टता से कहना चाहेंगे। SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Sir, European Union DisinfoLab has published a report on news agencies like ANI for spreading disinformation in order to portray a positive image of the Government. I just heard the Minister mentioning that they have created a mechanism to burst the fake news. I just want to ask the Minister whether they are also taking action against those channels who are spreading fake news and who are giving wrong facts even in the media channels.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, my Department takes action from time to time. Especially details, I will convey. Shri Prakash Javadekar's Information and Broadcasting Ministry also takes action from time to time. Sir, today, I seek your permission to make one statement with the greatest of respect. This Government is led by leaders who have fought for the freedom of individuals, freedom of the media and independence of the judiciary, particularly during the emergency days. It includes the Prime Minister. It includes you. It includes Raj Nath *ji*. It includes Prakash Javadekar *ji*. It includes me also. Our commitment to the freedom of the media, rights of individuals and independence of judiciary is complete and total. But we are equally concerned about safety, security and sovereignty of India.

SHRI N.R. ELANGO: Sir, what are the steps taken to protect the privacy of individuals in this area?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, privacy is a very important right. The Supreme Court has held that privacy is a fundamental right. Many areas of gap which you have in mind will be addressed when we come with the new guidelines in the appropriate time. It is a work in progress. Today, I would also like to gently convey this to these media platforms. Freedom is important. But when you abuse it in such a manner that you are showing revenge sex videos, you are showing porn in unbridled way, you are showing fight on the streets designed to ignite super-violence in an unbridled way.. Please. Family issues on the social media! I would urge the social media, if you have certain internal guideline, please measure these unbridled exposure on the standards of your own guidelines and take action.

MR. CHAIRMAN: Q.No.114.